

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 169 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 13 / 04 / 15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. गजेन्द्र सिंह जाटव पुत्र रामदयाल जाटव, उम्र 20 वर्ष,
निवासी :- अनूपगंज वार्ड क्रमांक 08 स्यौढ़ा, जिला :- दतिया (म.प्र.)।
..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 25 / 07 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी गजेन्द्र सिंह पर धारा :- 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 27 / 01 / 2015 को दोपहर लगभग 04:30 बजे दंदरौआ मंदिर उत्तर गेट के पास सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 27 / 01 / 2015 दिन मंगलवार को थाना मौ के सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल सनौरिया दंदरौआ मंदिर पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का मंदिर परिसर के उत्तर गेट के बाहर छुरी खुर्से कोई वारदात करने की नियत से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर साक्षीगण के साथ पहुँचा, तो एक लड़का उसे देखकर भागा, जिसे साक्षी कमल सिंह एवं कल्याण सिंह ने घेरकर पकड़ा और उसके पास लाये। आरोपी की जामा तलाशी लेने पर उसके पेंट की कमर में बाये तरफ एक लोहे का छुरा खुरसे मिला। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम गजेन्द्र सिंह जाटव निवासी :- अनूपगंज स्यौढ़ा का होना बताया। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् आरोपी के कब्जे से अवैध छुरी साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी गजेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 19/2015 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान कमल सिंह एवं कल्याण के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त गजेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी गजेन्द्र ने दिनांक :- 27/01/2015 को दोपहर लगभग 04:30 बजे दंदरौआ मंदिर उत्तर गेट के पास सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी भैयालाल सनौरिया अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 27/01/2015 को पुलिस थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह दंदरौआ मंदिर पर ड्यूटी कर रहा था। साक्षी आगे कहता है कि दौरान-ए-ड्यूटी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक लड़का मंदिर परिसर में उत्तर के गेट के बाहर छुरी खुरसे वारदात की नियत से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु उसके बताये स्थान पर वह, कमल सिंह एवं कल्याण को लेकर पहुँचा, तो लड़का उसे देखकर भागा, तो उक्त लड़के को कमल सिंह एवं कल्याण ने धरेकर पकड़ा और उसके पास लाये तो उसने साक्षीगण के समक्ष उक्त लड़के की तलाशी ली तो उसके बाये तरफ पेंट में एक लोहे की छुरी खुरसे मिली। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम गजेन्द्र सिंह जाटव निवासी :- अनूपगंज स्यौढ़ा का होना बताया। आरोपी से उक्त छुरी रखने वावत्

लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी से मौके पर उक्त छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा मौके पर जब्तशुदा छुरी का नक्शा बनाया गया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ पर उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज की गई थी, उक्त प्रति प्र.पी.06 है। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/15 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत एफआईआर लेखबद्ध की गई थी, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 27/01/2015 को साक्षी कल्याण एवं कमल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत छुरा, वही छुरा है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया गया था, छुरा आर्टिकल ए-01 है।

08. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी कलियान अ.सा.01 एवं कमल सिंह अ.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर उनके ए से ए एवं बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी गजेन्द्र से कोई धारदार छुरी जब्त होने का तथ्य, आरोपी गजेन्द्र को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य और साक्षी भईयालाल अ.सा.03 द्वारा उनके कथन लेखबद्ध किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09. भईयालाल अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि वह साक्षी कमल सिंह एवं कल्याण को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा और कमल सिंह एवं कल्याण ने आरोपी गजेन्द्र को घेरकर पकड़ा। विवेचक भईयालाल अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि साक्षी कमल सिंह एवं कल्याण ने किस हैसियत में आरोपी गजेन्द्र को पकड़ा था। विवेचक भईयालाल अ.सा.03 ने यह भी दर्शित नहीं किया है कि उसने घटना के समय अन्य पुलिसकर्मियों को साथ लेने का कोई प्रयास किया, अथवा नहीं, या साक्षी कल्याण एवं कमल सिंह को आरोपी गजेन्द्र को पकड़ने के लिए उसके द्वारा कोई निर्देश दिये गये। उल्लेखनीय है कि कल्याण एवं कमल सिंह ने तो पूर्ण रूप से अभियोजन कथा से इन्कार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी कल्याण एवं कमल सिंह ने आरोपी गजेन्द्र को प्रतिबंधित आकार का छुरा लिये हुये पकड़ा, इस वावत् साक्षी कल्याण अ.सा.01, कमल सिंह अ.सा.02 एवं विवेचक भईयालाल अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में भईयालाल अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रकरण में उसका कोई खानगी रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं है। प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें आरोपित घटना दिनांक का विवेचक भईयालाल अ.सा.03 के किसी खानगी रोजनामचा सान्हा की कोई छायाप्रति, प्रमाणित प्रति या सत्यप्रति संलग्न नहीं है। यह तथ्य आरोपित घटना के समय विवेचक भईयालाल अ.सा.03 की घटनास्थल पर उपस्थिति के तथ्य को संदेहास्पद बनाती है।

11. सहायक उपनिरीक्षक भईयालाल अ.सा.03 द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 में थाने पर घटना की सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक : 27/01/15 के 19:00 बजे अर्थात् शाम 07:00 बजे का होना अंकित है। भईयालाल अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल पर वापस लौटकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/2015 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 लेखबद्ध की थी। जबकि थाने पर घटना की सूचना प्राप्त होने के लगभग सवा दो घण्टे पूर्व शाम 04:45 बजे बनाये गये आरोपी के गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 में अपराध क्रमांक के स्थान पर 19/2015 अंकित है। विवेचक भईयालाल अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि थाने पर उसके पहुँचे बिना और आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुये बिना, शाम 04:45 बजे कथित घटनास्थल दंदरौआ मंदिर पर उसे यह कैसे ज्ञात हुआ कि थाना मौ पर आरोपी के विरुद्ध कौन सा अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया जाना है। इस प्रकार गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर अपराध क्रमांक 19/15 का अंकित होना यह दर्शित करता है कि निश्चय ही उक्त गिरफ्तारी पत्रक घटनास्थल पर तैयार ना किया जाकर, थाना मौ पर तैयार किया गया है और उक्त तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को गंभीर रूप संदेहास्पद बनाता है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी गजेन्द्र ने दिनांक :- 27/01/2015 को दोपहर लगभग 04:30 बजे दंदरौआ मंदिर उत्तर गेट के पास सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-1।बी (1) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

अंतिम निष्कर्ष

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी गजेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी गजेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

15. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद